प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/परिकल्प एवं नियोजन/यांत्रिक,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- प्रशासक ग्रेटर शारदा सहायक समादेश परियोजना,
लखनऊ

3- प्रबन्ध निदेशक परती भूमि विकास निगम,
लखनऊ।

4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एस0एल0एन0ए0),
लखनऊ।

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उ0प्र0।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 21 अप्रैल, 2017

विषयः पंजीकृत दागी फर्मों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त कर अच्छी, साफ सुथरी छवि की संस्थाओं एवं व्यक्तियों को मौका दिया जाना तथा विभाग में क्रय/आपूर्ति व निर्माण आदि कार्यों में ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदारों की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु रिट याचिका सं0-5018/एमएस/2005 चन्द्रिका प्रसाद निषाद बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में तथा रिट याचिका सं0-5153/एमएस/2005 भोला नाथ निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2006 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-566/07-27-सिं-3-08टी/84, दिनांक 22.02.2007 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। रिट याचिका संख्या-53416/2014 विवेक कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2014 के अनुपालन में उक्त शासनादेश दिनांक 22.02.2007 के प्रस्तर संख्या-3(9) में संशोधन आदेश संख्या-1862/16-27-सिं-3-08टी/84, दिनांक 14.12.2016 जारी किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 22.02.2007 में सिंचाई विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों पर आपराधिक गतिविधियों का दुष्प्रभाव रोकने तथा निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु मुख्यतः निम्नलिखित प्राविधान किया गया हैं:-

1.0- सिंचाई विभाग के कार्यों (अनुरक्षण एवं मरम्मत, निर्माण तथा बाढ़) की निविदा किसी भी ऐसे व्यक्ति जो अपराधी हो, जिसका आपराधिक इतिहास हो, जिसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज हों, जो आपराधिक गतिविधियों, गैंगस्टर, गुण्डा अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो, को नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी

--2--

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिबन्धित रहेगा जो पूर्व में सिंचाई विभाग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में काली सूची में आते हैं। इसका कठोरता से पालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:-

1.1- ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले चरित्र प्रमाण-पत्र और हैसियत प्रमाण-पत्र हेतु नये प्रपत्र तैयार किये गये हैं, जो संलग्न हैं। चरित्र प्रमाण-पत्र ITD-1 तथा हैसियत प्रमाण-पत्र ITD-2 मे नाम से जाने जायेंगे। दोनों प्रमाण-पत्र सम्बन्धित जनपद में जिलाधिकारी के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अनेकों निविदाकर्ता द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति दिखाते हुए हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं। अतः सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि हैसियत प्रमाण-पत्र बहुत गहराई से छानबीन और जांच के पश्चात् जारी किया जाए। कुछ प्रमाण-पत्रों को समय-समय पर उच्च स्तरीय टीम गठित करके जांच भी करायी जाती रहे। इन हैसियत प्रमाण-पत्रों की बैंक से और आयकर विभाग से पुष्टि भी करायी जाए।

1.2- सिंचाई विभाग में ठेकेदारी का कार्य करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था द्वारा ITD-3 प्रपत्र पर स्वघोषणा शपथ-पत्र रू0 100/- के Stamp Paper पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर, निविदा के साथ दिया जायेगा। स्वघोषणा शपथ-पत्र निविदा का अनिवार्य अंग होगा, बिना इसके कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

1.3- निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् भी यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि सम्बन्धित निविदाकर्ता द्वारा अन्य सम्भावित निविदाकर्ताओं को धमकाया गया है अथवा उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया है तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् स्वीकृत ठेके को निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः निविदा आमंत्रित कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। किसी ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है अथवा जांच में प्रमाणित पाया जाता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से आपराधिक गतिविधियों, असामाजिक कार्यों तथा संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा कारण बताओ नोटिस निर्गमन के पश्चात् निरस्त कर दिया जायेगा।

2.0- वर्तमान में सभी निविदा सूचनाओं को निदेशक, सूचना को प्रमुख समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित किये जाने एवं निदेशक, सूचना की वेबसाइट (http://upgov.up.nic.in/infotech) पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.idup.gov.up.in पर भी निविदा सूचना का विज्ञापन सुनिश्चित किय जाए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

2.1- इसके निमित्त विभाग में पंजीकृत सभी ठेकेदारों को उनके लिए गोपनीय पासवर्ड/अंगूठे का निशान/फोटो/रेटिना स्केनिंग की सुरक्षा पद्धति अपनाये जाने की व्यवस्था करते हुए इन्टरनेट साइट से निविदा प्रपत्र डाऊनलोड करने हेतु प्रबन्ध किये जाये। इसी प्रकार जिन ठेकेदारों को काली सूची में डाला जायेगा, उनके पासवर्ड आदि प्रतिबन्धित किये जायेंगे।

3.0- टेण्डर की बिक्री तथा जमा किये जाने की कार्यवाही सामान्यतया निम्नलिखित रूप से की जायेगी:-

3.1- पंजीकृत ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा क्रय की जा सकेगी।

--3--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निविदा प्रपत्र क्रय करते समय मूल पंजीकरण, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (ITD-1), हैसियत प्रमाण पत्र (ITD-2), की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जायेगी तथा उनकी सत्यापित छायाप्रतियां भी ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि ठेकेदार द्वारा जमा की जायेगी। अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रमाण पत्र जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया हो, भी जमा करना होगा।

3.5- अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से आमंत्रित किये जाने वाले निविदाओं के खुलते समय जिला प्रशासन से एक मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जाए।

3.6- उपरोक्त हेतु टेण्डर फार्म की बिक्री तथा जमा किए जाने के लिए इस प्रकार के सभी कार्यालयों में एक विशेष स्थान निर्धारित किया जाएगा जिसकी सूचना जन सामान्य को रहेगी और वहां नोटिस बोर्ड पर भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

3.7- यदि संबंधित अधिकारी द्वारा यह आशंका की जाती है कि उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाने में आपराधिक तत्वों के हस्तक्षेप की संभावना है तो संबंधित अधिकारी द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 06.01.2007 के अनुरूप प्रक्रिया अपनाते हुए निविदाओं को संबंधित प्रशासकीय अधिकारियों से समन्वय कर कलेक्ट्रेट में खोलने की प्रक्रिया भी अपनायी जा सकती है।

3.8- कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। किसी भी राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है, तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारियों द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

5.0- कभी-कभी आपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दर देने का विस्तृत विवरण मांगे। यदि इस आशंका की पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो वह गुण-दोष (Merit) के आधार पर निविदा को निरस्त कर सकते हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में एक तथ्यात्मक एवं मुखरित आदेश (Speaking Order) सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर निर्गत करेंगे जिसमें निविदा के निरस्तीकरण से सम्बन्धित सभी तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।

6.0- चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्वघोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेंगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल काली सूची में दर्ज किया जायेगा। विभागीय अधिकारियों का दायित्व होगा कि इन प्रमाण पत्रों में अंकित विवरणों को निर्गतकर्ता अधिकारी से लिखित रूप से पुष्टि करायें।

--4--

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण कार्यों में आपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदार सक्रिय हैं तथा इसे रोके जाने एवं निर्माण कार्यों में निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में जहाँ भी क्रय, आपूर्ति, अनुरक्षण एवं मरम्मत, निर्माण, बाढ तथा कन्सलटेन्सी सेवाओं आदि के लिए टेण्डर आमंत्रित किए जाते हैं, उन सभी मामलों में अब ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अपनायी जायेगी। सभी निविदायें ऑन-लाईन ही प्राप्त एवं स्वीकृत/अस्वीकृत की जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86, दिनांक 23-09-2008 के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

4- अतएव वर्णित स्थिति में आपको यह निदेशित किया जाता है कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में क्रय, आपूर्ति व निर्माण आदि कार्यों पर आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु पूर्व में निर्गत किए गए शासनादेशों के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन तथा विभाग में पंजीकृत दागी फर्मों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदारों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए उनका पंजीयन निरस्त करते हुए निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी एवं गुणवत्तापरक कार्य करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त के साथ ही विभाग में क्रय, आपूर्ति, अनुरक्षण एवं मरम्मत, निर्माण, बाढ तथा कन्सलटेन्सी सेवाओं आदि कार्यों के लिए जहां भी टेण्डर किए जाते हैं, उन सभी मामलों में ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी स्तर पर शिथिलता पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : (1) शासनादेश संख्या-566/07-27-सिं-3-08टी/84,
दिनांक 22.02.2007 की छायाप्रति।
(2) संशोधन आदेश संख्या-1862/16-27-सिं-3-08टी/84,
दिनांक 14.12.2016 की छायाप्रति।

भवदीय

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-16/326(1)/17-27-सिं-3, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(3) समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(4) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

शम्भू नाथ
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।